न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र0क्र. आर–................./2016 रीवा निग–1982–II/16

राजाराम गुप्ता पुत्र श्री रामसिया गुप्ता,
निवासी–ग्राम सेमरिया, तहसील–सेमरिया
जिला–रीवा (म0प्र0)।

—— प्रार्थी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

—— प्रतिप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 एवं 8 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश श्रीमान् कलेक्टर जिला–रीवा प्रकरण क्रमांक 08/अ–68/पुर्नविलोकन/15–16 पारित आदेश दिनांक 10.06.2016 ।

आज दि. 22-6-16 को
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्रीमान् जी,

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है।

(1) यहकि, अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर जिला रीवा का आदेश प्रार्थी को सूचना पत्र दिये बिना सुनवाई के अधिकार को वंचित कर श्रीमान् एस.डी.ओ. के द्वारा धारा 51 के तहत पुर्नविलोकन में लिये जाने की अनुमति प्रदान करना विचाराधिकार रहित है।

(2) यहकि, पुर्नविलोकन में अनुमति दिये जाने की पूर्व प्रार्थी को नोटिस दिया जाना व उसे सुनवाई का हक प्रदान किया जाना आवश्यक है। जैसे कि माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों में व्यक्त किया है कि पुर्नविलोकन की अनुमति प्रदान करने के पूर्व प्रार्थी को सुना जाना आवश्यक है। प्रार्थी सुनवाई से वंचित हुआ है इस कारण पुर्नविलोकन की अनुमति प्रदान किया जाना संवैधानिक अधिकार में आवश्यक है।

(3) यहकि, पूर्व श्रीमान् पीठासीन अधिकारी एस.डी.ओ. महोदय द्वारा दिनांक 27.06.2014 को विवादित सर्वे क्रमांक 354/1 में से रकवा 540 वर्गफीट पर प्रार्थी राजाराम का नाम भू–स्वामी स्वत्व पर दर्ज करने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद दिनांक 06.02.2016 को तत्कालीन

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1982-दो/2015 जिला रीवा राजाराम विरूद्ध शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 08/अ-68/पुर्नविलोकन/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 10-06-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 03-05-2019 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) सदस्य 05/3/2019	